

: प्रतिबंध :

- स्वीकृत समूह आवास भवन मानचित्र भू-स्वामित्व सम्बंधी अभिलेख का अंग नहीं माना जायेगा। भू-स्वामित्व सम्बंधी कोई वाद-विवाद होने अथवा उत्पन्न होने की दशा में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- स्थल पर निर्माण के समय स्वीकृति सम्बंधी समस्त विवरण अंकित करते हुये निर्धारित प्रारूप का एक बोर्ड लगाना होगा।
- भवन निर्माण में शासनादेशानुसार लेबर एक्ट तथा नेशनल सेफ्टी काउंसिल के प्राविधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- पार्किंग हेतु आरक्षित क्षेत्र पर किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- स्ट्रक्चरल डिजाइन व स्पेसिफिकेशन के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी। प्रस्तुत स्ट्रक्चरल ड्राइंग डिजाइन के अनुसार निर्माण की समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
- शासनादेश के अनुसार स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
- शासनादेश के अनुसार स्थल पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र का प्राविधान करना होगा।
- निर्माण पूर्ण करने के उपरान्त प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- समूह आवास मानचित्र स्थल पर शासनादेशानुसार वृक्ष एवं लैंड स्केपिंग का प्राविधान करना होगा।
- मानचित्र का उपयोग केवल समूह आवास प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा।
- भविष्य में लखनऊ विकास प्राधिकरण या अन्य किसी भी विभाग की कोई देनदारी निकलती है, तो पक्ष द्वारा देय होगी।
- अग्निशमन विभाग की अनापत्ति आख्या पर अंकित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- आवेदक द्वारा समस्त सेवाओं की कनेक्टिविटी सम्बंधित विभागों से अपने व्यय पर लेनी होगी।
- भवन परिसर में अशक्त व्यक्तियों के लिए भवन उपविधि में अपेक्षित प्राविधान सुनिश्चित करना होगा।
- वाह्य विकास एवं क्रय योग्य एफ0ए0आर0 जमा होने तक कराये गये रजिस्टर्ड बंधक पत्र एवं मानचित्र में दर्शित सातवें तल के पांच फ्लैटों का विक्रय नहीं किया जायेगा।
- बेसमेण्ट का निर्माण आरम्भ करने से पूर्व खनन विभाग की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढाँचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
- अपार्टमेन्ट एक्ट, रेरा तथा विभिन्न समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- शासनादेश सं0-410/8-3-16-18विधि/2016 दिनांक 22.03.2016 के क्रम में जमा कराया गया है। अवशेष लेबर सेस की धनराशि को शासनादेश दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित प्राविधान तथा प्रस्तुत शपथ पत्र के क्रम में श्रम विभाग को जमा कराकर उक्त की सत्यापित रसीदें प्राधिकरण में जमा करना अनिवार्य है।
- स्थल पर अवस्थापना सुविधाओं को मानकों के अनुसार विकसित करना तथा उनकी स्थानीय निकायों की सेवाओं से संयोजित करने का उत्तरदायित्व भूस्वामी/निर्माणकर्ता का होगा।
- स्मॉग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिड़काव की व्यवस्था की जाये या उन्हें त्रिपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
- भू-स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि स्थल पर किसी प्रकार के गड्ढे न हों तथा उसमें जल भराव न हो एवं अगल-बगल की सत्पत्ति को कोई क्षति न पहुँचने पाये, यदि ऐसा पाया जाता है, तो उसका भवन मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रस्तावित संशोधित समूह आवास भवन मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

अभिलेख का प्रकार : बंधक पत्र (विना कब्जा)	
वर्ष	2018
लेखपत्र संख्या	15450
खंड संख्या	24298
संपत्ति की स्थिति	
जनपद	लखनऊ
उप निबंधक	सदर प्रथम
वार्ड/ परगना	चन्द्रभान गुप्त नगर
मोहल्ला/ग्राम	ए पी सेन रोड
संपत्ति का विवरण	
भूमि का प्रकार	
खसरा /मकान /गाटा संख्या	611
भूमि की अवस्थिति	भूखण्ड सं0-9 का भाग जो खसरा सं0-611, 613 व 614 का भाग पर निर्मित होने वाले पेन्ट हाउस सप्तम तल
भूमि की इकाई	
क्षेत्रफल	0.0
स्वामित्व का अंश	0
स्वामित्व के विक्रीत अंश	0
बाजारी मूल्य	रु. 0
प्रतिफल	रु. 19033648
स्टाम्प शुल्क	रु.486000
निष्पादन की तिथि	07 DEC 2018
पंजीकरण की तिथि	07 DEC 2018
पक्ष विवरण	
प्रथम पक्ष	
नाम	लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा सचिव
पिता/माता/पति का नाम	द्वारा
पता	नवीन प्राधिकरण भवन, गोमती नगर, लखनऊ
द्वितीय पक्ष	
नाम	प्रोटीस्टार इन्फ्रास्टेड्स प्रा0लि0 द्वारा निदेशक श्री उमर मुख्तार हुसैन
पिता/माता/पति का नाम	डा0 मजहर हुसैन
पता	2/182, विश्वास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
गवाह	
नाम	करीम मंसूरी
पिता/माता/पति का नाम	कल्लू मंसूरी
पता	2/182 विश्वास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
गवाह	
नाम	ओम प्रकाश अवस्थी
पिता/माता/पति का नाम	स्व0 महेन्द्र प्रताप अवस्थी
पता	2/176, विराट खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ